an>

Title: Need for adequate compensation to the farmers whose land has been acquired in Bilaspur Parliamentary Constituency of Chhattisgarh.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, जोकि आज शून्य-काल में मुझे प्रथम बार सदन में बोलने का अवसर मिला है। मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आता हूं। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ पीडीएस सिस्टम के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। साथ ही साथ पावरहब के नाम से भी वहां पर बहुत संभावना है।

सभापति महोदय, हमारे पूर्व एनडीए के कार्यकाल में सम्मानीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बिलासपुर के सीपत एनटीपीसी संयंत्र का शिलान्यास और साथ ही उसकी स्थापना की गई थी, परन्तु प्रबंधन के द्वारा कुछ वर्षों से वहां जो स्थापना की गई, उस समय उसका जो नियम और शर्त लागू किया गया था, उसकी अनदेखी करते हुए वहां जो भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसको नज़रअंदाज करते हुए उचित मुआवजा मिलना चाहिए, वह नहीं दिया गया है। जिस समय स्थापना की गई थी, उस समय यह शर्त रखी गई थी कि जिसकी भूमि अधिग्रहण की गई है, उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी में लिया जाना है। उस बात की भी उपेक्षा की गई है।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कल 21 तारीख को इस संबंध में क्षेत्र के जो भूमि विस्थापित और जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई है, उन सब ने पानी गिरती हुई स्थिति में भी अपने बच्चों व महिलाओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया है। वहां पर जो गांव अधिग्रहण किया गया है, जो गांव सम्मिलित हैं, उसमें बिजली, पानी आदि की प्राथमिक सुविधाएं देने की जो बात की गई थी, उसकी भी उपेक्षा की गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि संयंत्र का एक राखड़ बांध है, जिससे आसपास के करीब 25 गांवों की खेती बर्बाद हो रही है। आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करके समुचित व्यवस्था की जाए।